भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 609
16 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

रक्षा कार्मिकों द्वारा आत्महत्या

609. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दशक के दौरान देश में 110 से अधिक रक्षा कार्मिकों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस मुद्दे पर रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर) के साथ मिलकर कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या रक्षा कार्मिकों के बीच मानसिक तनाव आत्म हत्या का एकमात्र कारण है; और

(ड.) यदि हां, तो रक्षा कार्मिकों द्वारा आत्महत्याओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ): सशस्त्र सेनाओं में वर्ष 2010 से 2019 तक आत्महत्या के मामलों का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	आत्महत्याओं की संख्या		
	भारतीय वायुसेना	भारतीय नौसेना	भारतीय सेना
2010	14	01	116
2011	23	04	105
2012	15	01	95
2013	15	06	86
2014	24	04	84
2015	15	03	78
2016	19	06	104
2017	21	05	77
2018	16	08	83
2019	20	02	73
कुल	182	40	901

रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर) ने वर्ष 2006 से अनेक अध्ययन करने के पश्चात, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू और निजी समस्याओं, वैवाहिक मतभेद, तनाव और वित्तीय समस्याओं को सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों के रूप में सूचीबद्ध किया है।

सरकार ने सैनिकों में तनाव सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की तैनाती, भोजन एवं कपड़ों की गुणवत्ता में सुधार, तनाव प्रबन्धन में प्रशिक्षण, मनोरंजन संबंधी सुविधाओं का प्रावधान, बडी सिस्टम, छुट्टी रियायतें, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच की सुगमता, सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की आवाजाही संबंधी सुविधाएं और विभिन्न स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

*****